**कोषागारात रोख देय अनुदान**

**अर्थसंकल्पीय अनुदान २०१०-११**
विशेष घटक योजना
**२२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता** या
प्रधान लेखाशिर्षाखाली **विंधण**
**विहिरीच्या कार्यक्रमासाठी** अनुदाने
लेखाशिर्ष (२२१५ १३०६)

# महाराष्ट्र शासन

## पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

शासन निर्णय क्र. ग्रापाअ-१५१०/ प्र.क्र.७/पापु-१०,
मंत्रालय, मुंबई :- ४०० ०३२. दिनांक : २२ मार्च, २०११

संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अंदाज- २०.१०/सीआर.७१/अर्थसंकल्प-३, दि.१८ मे, २०१०
२) शासन निर्णय क्र.ग्रापाअ-१५१०/प्र.क्र.१००/पापु-७, दि.२४.४. २०१०
३) शासन निर्णय क्र.ग्रापाअ-१५११/प्र.क्र.७/पापु-१०, दि.१०.१.२०११

**प्रस्तावना:**

संदर्भ क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१० (सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.८) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-८, दिनांक २७ एप्रिल, २०१० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

त्यानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत विशेष घटक योजनेखालील विंधण विहिर कार्यक्रमासाठी आर्थिक वर्ष २०१०-११ मध्ये रु.१७३.७६ लक्ष इतका निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र. २ अन्वये २३.१७ लक्ष इतका निधी व संदर्भ क्र. ३ अन्वये ५०.१९६६० लक्ष इतका निधी संबंधितांना वितरित करण्यात आलेला आहे. आता वित्त विभागाने माहे मार्च, २०११ मधील कॅश-फ्लो नुसार रु.८३. ०१३४० लक्ष इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी माहे. मार्च ,२०११ मध्ये कॅश-फ्लो नुसार संबंधित जिल्हयांना मंजूर व मुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

**शासन निर्णय :-**

आर्थिक वर्ष २०१०-११ मध्ये विशेष घटक योजनेखाली ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत विंधण विहिर घेणे या जिल्हास्तरीय योजनेसाठी एकूण **रू. ८३. ०१३४० लक्ष (रूपये त्र्याऐंशी लक्ष एक हजार तीनशे चाळीस फक्त)** इतका निधी या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ ६ मधील निधी प्रत्यक्ष कार्यक्रमासाठी व स्तंभ ७ मधील निधी देखभाल दुरुस्तीसाठी, शासन संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माहे मार्च , २०११ मधील कॅश-फ्लो नुसार संगणकीय वितरण प्रणालीद्वारे रोख मंजूर व मुक्त करीत आहे.

२. चालू आर्थिक वर्षी विशेष घटक योजनेअंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा उपाययोजनांसाठी देखभाल दुरुस्ती निधी राज्यस्तरावर वेगळा काढलेला नसल्याने, या शासन निर्णयान्वये देखभाल दुरुस्तीचा निधी वेगळयाने दर्शविण्यात आलेला आहे. हा निधी आहरीत करून जिल्हा देखभाल दुरुस्ती निधीमध्ये जमा करण्यात यावा. देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाच्या वितरणासाठी शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचे अनुषंगाने हा निधी वितरित करण्यात यावा.

३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान पुढील शर्तीच्या अधीन राहील.

(अ) जिल्हा परिषदांनी हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे, त्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी खर्च करावे.

(ब) जिल्हा परिषदांनी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत.

(क) वरील अटी व शर्तीची जिल्हा परिषदांकडून पूर्तता होत आहे याची शासनाला खात्री करून घेता यावी म्हणून महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर यांना तसेच या विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्यास लेखा परिक्षणाकरिता जिल्हा परिषदांची पुस्तके व लेखे पाहण्याचा अधिकार राहील. महालेखापाल यांना त्यांचे काम योग्य तऱ्हेने पार पाडता यावे म्हणून जिल्हा परिषदा संपूर्ण मदत व सुविधा पुरवतील.

(ड) शासन परिपत्रक ग्राम विकास क्र. आरसीएन-१०८९/सीआर-३०२७/२८, दि. ५.९.१९९० मधील सूचनेप्रमाणे या अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळांचे विहित अहवाल विहित दिनांकांना जिल्हा परिषदांनी विभागीय आयुक्त (विकास शाखा) यांना, त्याचप्रमाणे या विभागातील कार्यासन क्र.पापु-०५, पापु-०७ व पापु-२० यांना सादर करावे. झालेल्या खर्चाची माहिती दरमहा व त्रैमासिक अहवालात पुढील महिन्यासाठी १० तारखेपर्यंत सादर करावी.

४. हा होणारा खर्च मागणी क्र. वाय-२, " २२१५- पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१- पाणी पुरवठा १०२- ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम - अनुसूचित जातीकरिता विशेष घटक योजना- पिण्याचे पाणी पुरवठ्याचा ग्रामीण कार्यक्रम (०२) (१०) विंधण विहिरी (२२१५ १३०६) ३१, सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व त्याखालील मंजूर तरतूदीतून भागवावा.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०११०३२५१५१२३९००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सही/-

**( फु. स. मेश्राम )**

**अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन**

प्रति,

१) विभागीय आयुक्त, सर्व
२) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई
३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
४) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी.
५) मुख्य अभियंता, भारत निर्माण कक्ष, बेलापूर, नवी मुंबई
६) विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) (उपायुक्त विकास)
७) अधीक्षक अभियंता, विभागीय भारत निर्माण कक्ष (सर्व)
८) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व)
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ,मुंबई (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई.
१३) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नाशिक, पुणे, अमरावती, औरंगाबाद व नागपूर
१४) वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई
१५) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१६) उप सचिव, विशेष घटक योजना-१, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१७) संचालक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१८) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, सर्व
१९) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासने क्र. पापु-०४, पापु-०५ व पापु-२०
२०) निवडनस्ती, पापु-०७

# विवरणपत्र

**शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.ग्रापाअ-२०११/प्र.क्र.७/पापु-१०, दि. २२ मार्च, २०११ चे सहपत्र**

**अनुसुचित जाती उपयोजनेंतर्गत विशेष घटक योजना**

**ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत विंधण विहिरीसाठीचे अनुदान लेखाशिर्ष (२२१५ १३०६)**

(रु. लाखात)

| अ. क्र. | जिल्हा परिषदेचे नांव | आतापर्यंत वितरीत निधी | | | मार्च २०११ मध्ये वितरीत करण्यात येत असलेला निधी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योजना | देखभाल व दुरुस्ती | एकूण | योजना | देखभाल व दुरुस्ती | एकूण |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | ठाणे | १२.४९६६० | २.१९ | १४.६८६६० | १६.३६३४० | २.९० | १९.२६३४० |
| २ | रायगड | १.२९ | ०.२२ | १.५१ | १.७७ | ०.३२ | २.०९००० |
| ३ | सिंधुदुर्ग | ०.१४ | ०.०३ | ०.१७ | ०.२५ | ०.०३ | ०.२८००० |
| ४ | नाशिक | ४.७७ | ०.८५ | ५.६२ | ६.७० | १.१८ | ७.८८००० |
| ५ | धुळे | ०.४८ | ०.०८ | ०.५६ | ०.६७ | ०.१२ | ०.७९००० |
| ६ | नंदूरबार | १.०७ | ०.१९ | १.२६ | १.५३ | ०.२७ | १.८०००० |
| ७ | जळगाव | ६.३८ | १.१२ | ७.५० | ८.९२ | १.५८ | १०.५०००० |
| ८ | सातारा | ५.६७ | १.०१ | ६.६८ | ७.९९ | १.४० | ९.३९००० |
| ९ | सोलापूर | ३.१७ | ०.५७ | ३.७४ | ४.४८ | ०.७८ | ५.२६००० |
| १० | कोल्हापूर | ०.६५ | ०.११ | ०.७६ | ०.८८ | ०.१६ | १.०४००० |
| ११ | औरंगाबाद | ८.५० | १.५० | १०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.००००० |
| १२ | जालना | १.६० | ०.२८ | १.८८ | २.२२ | ०.४० | २.६२००० |
| १३ | परभणी | १.२९ | ०.२३ | १.५२ | १.७७ | ०.३१ | २.०८००० |
| १४ | हिंगोली | ५.०८ | ०.९० | ५.९८ | ७.१६ | १.२६ | ८.४२००० |
| १५ | लातूर | १.६० | ०.२८ | १.८८ | २.२२ | ०.४० | २.६२००० |
| १६ | अकोला | १.९१ | ०.३४ | २.२५ | २.६८ | ०.४७ | ३.१५००० |
| १७ | वाशिम | १.६० | ०.२८ | १.८८ | २.२३ | ०.३९ | २.६२००० |
| १८ | यवतमाळ | २.८० | ०.५० | ३.३० | ०.०० | ०.०० | ०.००००० |
| १९ | गोंदिया | १.८५ | ०.३४ | २.१९ | २.७४ | ०.४७ | ३.२१००० |
| | **एकूण :-** | **६२.३४६६०** | **११.०२** | **७३.३६६६०** | **७०.५७** | **१२.४४** | **८३.०१३४०** |

**(रु. त्र्याऐंशी लाख एक हजार तीनशे चाळीस फक्त)**

सही/-

**(फु. स. मेश्राम)**

**अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन**